न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : पं०निग०/024/2014 सुन्दर देवी वगैरह बनाम ग्रामपंचायत मोहब्बतपुरा

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12-06-17	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष पूर्ववत उपस्थित। निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा की आज्ञा दिनांक 5-12-2005 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा सं० 43 निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12-06-2017 को खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) **अति. कलक्टर (द्वितीय)** **जयपुर**	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

निगरानी संख्या : 24/2014

1. सुन्दर देवी पत्नी स्व0 श्री कानाराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम डाबला खुर्द व ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व श्री छोटूराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम डाबला खुर्द व ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा, पंचायत समिति–फागी, जरिये सरपंच।
2. सीताराम पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल, जाति–बागड़ा, निवासी–ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल, जाति–बागड़ा, निवासी–ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. नाथूलाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल, जाति–बागड़ा, निवासी–ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकार

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा दि0 05.12.2005 बमिसल सं0 30/2005 एवं इसके अनुसरण में दिनांक 22.04.2006 को जारी किया गया पट्टा सं0 43 बहक श्री सीताराम, बाबूलाल व नाथूलाल को निरस्त करने)

उपस्थितिः–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री ज्ञानेश्वर बाढदार, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं. 2 लगायत 4 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकर्ता सं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.06.2017

ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा द्वारा दिनांक 05.12.2005 को श्री सीताराम, बाबूलाल व नाथूलाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल, निवासी–डाबला बुजुर्ग को नक्शे के अनुसार रूपये 7/– प्रति वर्गगज की दर से नजराना राशि लेकर पट्टा, पट्टा शुल्क एवं विकास शुल्क कुल रूपये 2114/– वसूल कर पट्टा जारी करने की आज्ञा दी हैं और इसके अनुसरण में पट्टा सं0 43 दिनांक 22.04.2006 जारी किया गया हैं जिससे व्यथीत होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्तागण जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री भगवान सहाय शर्मा का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.12.2005 ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 43 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत हैं। निगरानीकर्तागण ग्राम डाबला बुजुर्ग के निवासी है व परिवार सहित ग्राम डाबला बुजुर्ग में निवास करते हैं। ग्राम डाबला बुजुर्ग में निगरानीकर्तागण की सामलाती पुश्तैनी सम्पत्ति खातेदारी व कब्जेशुदा आबादी भूमि हैं। कृषि भूमि पर काश्त की जा रही हैं और कब्जेशुदा आबादी भूमि पर अपने पशुओं का गोबर व छड़िया आदि डालते हुए 50 वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। निगरानीकर्तागण की पुश्तैनी कब्जेशुदा आबादी भूमि की नाप पूर्व से पश्चिम 40 फीट व उत्तर से दक्षिण 90 फीट हैं, जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में नारायण प्रसाद व सूजीलाल शर्मा तथा पश्चिम में खातेदारी भूमि निगरानीकर्ता स्थित हैं। उत्तर में रास्ता व प्रभुनारायण वगैराह की भूमि, दक्षिण में निगरानीकार के भाई–बन्धुओं की आबादी भूमि स्थित हैं। इस निगरानीकर्तागण की पुश्तैनी कब्जाशुदा आबादी भूमि का गैर–निगरानीकार सं0 1 लगायत 3 ने बाला–बाला बिना किसी आधार के ही ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा से मिलीभगत कर दिनांक 05.12.2005 को पट्टा लेने का आदेश करा लिया और पट्टा सं0 43 दिनांक 22.04.2006 को अपने हक में जारी करा लिया। पट्टा सं0 43 में उत्तर की ओर आम चौक व 25 X 33 जिसमें हैण्डपम्प व सामने प्रभुनारायण वगैराह का मकान बताया हैं जबकि प्रभुनारायण वगैराह के पट्टा सं0 6 दिनांक 20.06.2006 में दक्षिण में केवल आम रास्ता व हैण्डपम्प बताया गया हैं इस प्रकार तथाकथित पट्टा सं0 43 की भूमि के उत्तर में आम चौक नहीं हैं। पट्टा सं0 43 मौके की वास्तविक स्थिति के पूर्णतया विपरीत केवल निगरानीकर्तागण की आबादी भूमि को हड़पने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया हैं जो निरस्तनीय हैं। आज्ञा दिनांक 05.12.2005 में पट्टा शुल्क/विकास शुल्क प्राप्त किये जाने का अंकन हैं जबकि जरिये रसीद सं0 74 दिनांक 22.04.2006 पट्टा शुल्क लिया गया हैं। ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 के चाचा नारायण प्रसाद शर्मा वर्ष 2005 से 2009 तक सरपंच पद पर पदासीन रहे हैं और नारायण प्रसाद शर्मा ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपने परिवारजन को निगरानीकर्तागण की कब्जेशुदा आबादी भूमि का

गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 को निगरानीकर्तागण की कब्जेशुदा आबादी भूमि का पट्टा लेने का कोई अधिकार नहीं था। गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 के चाचा श्री नारायण प्रसाद शर्मा वर्ष 2010 से 2014 तक सरपंच पद पर रहे हैं जिन्होने अपने पद का दुरूपयोग कर अवैध रूप से अपने परिवारजनों को पट्टे दिये हैं जिसके कारण श्री नारायण प्रसाद शर्मा को सरपंच पद से निलम्बित किया हैं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआईआर सं0 89/2014 दर्ज हैं। गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 की ओर से पट्टा प्राप्त करने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं उसमें जो सीमायें अंकित की हैं उसके विपरीत जाकर पट्टा जारी किया गया हैं अर्थात् आवेदन पत्र में अंकित सीमाओं और जारी किये गये पट्टे की सीमाओं में गम्भीर अन्तर हैं। नियम 148 के अन्तर्गत जारी किये गये आपत्ति नोटिस पर चस्पानगी के प्रमाणस्वरूप 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। नियम 158 (1) (2) में मात्र 150 वर्गगज का पट्टा रियायती दर पर दिये जाने का प्रावधान हैं परन्तु नियमों के विपरीत 302 वर्गगज का पट्टा रियायती दर पर दिया गया हैं। अवैध रूप से जारी किये गये पट्टा सं0 43 की निगरानीकर्तागण को कोई जानकारी नहीं थी परन्तु दिनांक 25.07.2014 को अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 द्वारा निगरानीकर्तागण के कब्जाशुदा भूखण्ड से छडियां हटाकर कब्जा करने व नींव भरने का प्रयास करने पर निगरानीकर्तागण ने मना किया, मना किये जाने के बावजूद अवैध कब्जा करने से न मानने के कारण पुलिस थाना फागी में शिकायत की तो पुलिसकर्मीयो के मौके पर आने पर गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 में स्वयं के हक में विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा होना जाहिर किया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर अवैध रूप से जारी किये गये पट्टे के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की हैं। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 05.12.2005 व पट्टा सं0 43 दिनांक 22.04.2006 निरस्त फरमाया जावे।

गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 3 के विद्वान् अभिभाषक श्री ज्ञानेश्वर बाढदार का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 05.12.2005 ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 43 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप हैं। निगरानीकर्तागण ग्राम डाबला बुजुर्ग के निवासी नहीं है और न ही ग्राम डाबला बुजुर्ग में परिवार सहित निवास करते हैं। निगरानीकर्तागण ग्राम डाबलाखुर्द के निवासी है और इनके द्वारा वर्ष 2000 में आकर ग्राम डाबलाबुजुर्ग में कृषि भूमि क्रय की है। ग्राम डाबलाखुर्द के ही मतदाता है । ग्राम डाबलाखुर्द की मतदाता सूची में निगरानीकर्तागण का नाम हैं। निगरानीकारान ग्राम डाबलाखुर्द के निवासी है ऐसी स्थिति में यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि ग्राम

डाबलाबुजुर्ग स्थित वादग्रस्त भूखण्ड पर निगरानीकारान का कभी कब्जा नहीं रहा वरन् गैर–निगरानीकारान का पूर्वजों से पुराना कब्जा रहा हैं। निगरानीकारान द्वारा जो निगरानी प्रार्थना–पत्र में स्वयं के कब्जे की माप दर्शाई हैं वह मात्र कोरी कल्पना हैं। गैर–निगरानीकारान द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा को कब्जाशुदा भूखण्ड के पट्टे के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूखण्ड की सीमायें दर्शाई हैं, ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति की है, तीन पंचों द्वारा मौके का निरीक्षण किया हैं। मौके पर तीनों पंचों ने भूखण्ड की नाप–झोक कर गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 के हक में रिपोर्ट दी हैं। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया हैं जिसमें भूखण्ड का अंकन करते हुए सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं। चस्पानगी की रिपोर्ट पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से गैर–निगरानीकार 2 लगायत 4 को उनके कब्जेशुदा भूखण्ड का पट्टा देने का निर्णय किया हैं। गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 ने पंचायत द्वारा बताई गई समस्त राशि जमा कराकर नियमानुसार पट्टा प्राप्त किया हैं। निगरानीकारान का यह भी कथन गलत हैं कि प्रार्थना–पत्र में जो दिशायें अंकित की हैं उनके विपरीत पट्टा जारी किया गया हैं। मौके पर जिस भू–खण्ड पर पुराना कब्जा है उसी भू–खण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगरानीकार संख्या 2 लगायत 4 को दिया गया है। पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.06.2006 को जारी किया गया है जो पट्टा संख्या 43 के बाद का है जिसको पूर्व में जारी किये गये पट्टे की दिशाओं की प्रमाणिकता के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता है। गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 अपने परिवार सहित पृथक–पृथक निवास करते हैं तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से पट्टा जारी किया हैं जो नियमों की परिधि में हैं। नियमों के विपरीत पट्टा जारी नहीं किया गया। श्री नारायण प्रसाद शर्मा ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा के उपसरपंच रहे हैं परन्तु उनका ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 के हक में दिये गये पट्टे से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं। नियमों की पूर्ण पालना की जाकर ग्राम पंचायत के सर्वसम्मत निर्णय से निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 को नियमों की परिधि में पट्टा जारी किया गया हैं। वर्ष 2010 से 2014 तक श्री नारायण प्रसाद शर्मा ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा के सरपंच रहे हो और उनके विरुद्ध कोई शिकायत हुई हो, से गैर–निगरानीकार सं0 2 लगायत 4 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं। निगरानीकर्तागण का यह कथन सरासर गलत हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड पर गैर–निगरानीकारान का कब्जा दिनांक 25.07.2014 को छडियां आदि हटाकर नीम भरने का प्रयास किये जाने पर जानकारी हुई। वास्तविक तथ्य तो यह हैं

कि वादग्रस्त भूखण्ड पर पुख्ता डण्डा गैर–निगरानीकारान द्वारा पट्टा प्राप्त करते ही करा लिया गया था। सचिव, ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.10.2014 में वादग्रस्त भूखण्ड में ढाई फुट बाउण्ड्रीवाल बनी हुई होना अंकित किया हैं। सचिव, ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा ने दिनांक 21.10.2014 को जो फोटोग्राफी की हैं उसमें भूखण्ड सं0 43 डाबला बुजुर्ग को सीताराम, बाबूलाल, नाथूलाल पुत्र ग्यारसीलाल का होना अंकित किया हैं। काल्पनिक तथ्यों के आधार पर गैर–निगरानीकर्तागण को राजनैतिक द्वेषभाव से हेरान व परेशान कर पट्टेशुदा भू–खण्ड को हड़पने की साजिश के तहत 9 वर्ष की एक दीर्घ अवधि के बाद निगरानी प्रस्तुत की गई है अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 05.12.2005 व इसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा सं0 43 यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावें ।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि सीताराम, बाबूलाल एवं नाथूलाल नाम का प्रार्थना–पत्र बाबत् चाहने पट्टा प्राप्त होने पर, दिनांक 08.09.2005 को मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की नियुक्ति की गई हैं जिसकी पालना में दिनांक 05.11.2005 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया हैं और एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने की व एक माह बाद पत्रावली पेश करने की आदेशिका पर आज्ञा दी गई हैं। इस आदेशिका की पालना में दिनांक 05.11.2005 को आपत्ति नोटिस जारी किया जाना जाहिर हैं परन्तु यह नोटिस किस दिनांक को कब और कहां पर चस्पा किया हैं अंकित नहीं हैं। दो गवाहो कान्ता, अनिता देवी के हस्ताक्षर कराये गये हैं, परन्तु ये कहां की निवासीनी है, पति/पिता का क्या नाम है व्यस्क है अथवा अव्यस्क हैं कोई ब्यौरा अंकित नहीं है, हस्ताक्षर के साथ दिनांक भी अंकित नहीं है जिसके यह सन्देह किये जाने का पर्याप्त आधार हो जाता है कि ये नोटिस चस्पा भी किये गये है अथवा नही। आपत्ति नोटिस को दिनांक 05.11.2005 को जारी किया जाना जाहिर किया गया है। नोटिस में एक माह के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं। आदेशिका दिनांक 05.11.2005 में एक माह के बाद पत्रावली पेश करने की आज्ञा दी गई हैं किन्तु एक माह की समायावधि समाप्त होने के दिन ही दिनांक 05.12.2005 को पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार प्रथमतः तो आपत्ति नोटिस ही नियमानुसार चस्पा नहीं हैं चस्पाग्री की दिनांक अंकित नहीं होने और गवाहों का पूर्ण ब्यौरा मय दिनांक अंकित न होने से आपत्ति नोटिस में दी गई एक माह की अवधि वास्तव में आपत्तियां मांगने के लिए दी गई हो, न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता हैं, दूसरे यह कि दिनांक 05.11.2005 को आपत्ति नोटिस

जारी किया जाना जाहिर किया गया है और दिनांक 05.12.2005 को एक माह की अवधि पूरी होने के दिन ही पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया हैं, जो आपत्ति अवधि पूर्ण नहीं होने से अनुचित है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(2) के तहत पट्टा जारी किया गया हैं, नियम 158(2) में 150 वर्गगज का पट्टा दिये जाने का प्रावधान हैं परन्तु पट्टा 302 वर्गगज का दिया गया हैं। सीताराम, बाबूलाल, नाथूलाल ने अपने शपथ–पत्र में 50 वर्ष से अधिक का कब्जा बताया हैं, ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय दिनांक 05.12.2005 में 100 वर्षों से कब्जा बताया हैं, सचिव, ग्रा0पं0–मोहब्बतपुरा की रिपोर्ट क्रमांक ग्रा.पं./मोह./जय./14/दिनांक 21.10.2014 के संलग्न प्राप्त फोटोग्राफी में ऐसे कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं जिससे जाहिर हो कि कब्जा 50 वर्षो का अथवा 100 वर्षो का हो। निगरानीकर्त्तागण ने भी वादग्रस्त भू–खण्ड पर पशुओं का गोबर छड़िया आदि डालकर 50 वर्षो का कब्जा होना जाहिर किया हैं जबकि गैर–निगरानीकारान द्वारा नकल निर्वाचन नामावली 2014 ग्राम डाबला खुर्द प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने की कोशिश की हैं कि निगरानीकर्त्तागण ग्राम डाबला खुर्द के निवासीगण हैं और डाबला खुर्द स्थित भू–खण्ड पर उनका कोई कब्जा नहीं हैं, कोई सरोकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम यह न्यायोचित पाते हैं कि पट्टा जारी किये जाने से पूर्ण नियमों की पालना नहीं की गई, कब्जे की जांच नहीं की गई, कब्जे की स्थिति विवादास्पद हैं, जो कि नितान्त आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी निगरानीकर्त्तागण स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा की आज्ञा दिनांक 05.12.2005 व इसके अनुसरण में दिनांक 22.04.2006 को जारी किया पट्टा सं0–43 बहक श्री सीताराम, बाबूलाल व नाथूलाल निरस्त किया जाता हैं और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि ग्राम पंचायत–मोहब्बतपुरा उभय–पक्षों को सुनवाई साक्ष्य, का समुचित नोटिस/अवसर देकर व नियमानुसार नक्शा मौका, पंचों की रिपोर्ट लेकर, आपत्ति नोटिस जारी कर वास्तविक कब्जे की जांच कर पुनः विधि–सम्वत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

12/6/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर